नकल आदेश दि० 23-03-12 न्यायालय उप जिलाधिकारी जानसठ, मु०नगर

न्यायालय उप जिलाधिकारी- जानसठ (मुजफ्फरनगर)

वाद संख्या: 03 /2011 12

धारा 143 ज0वि0 अधिनियम
मौजा -- ग्राम कैलापुर जसमौर
परगना--भु0सं0

भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी(रजि0) बनाम सरकार

निर्णय

प्रश्नगत वाद श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री शोभाराम निवासी मौ0शक्तीनगर वेराज रोड बिजनौर बेहेसियत मुख्तारेआम भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी (रजि0) 50, आवास विकास कालौनी (बिजनौर)सामने इन्द्रा पार्क बिजनौर द्वारा धारा --143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी (रजि0) 50, आवास विकास कालौनी (बिजनौर)सामने इन्द्रा पार्क बिजनौर ग्राम कैलापुर जसमौर परगना भु0सं0 तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर स्थित भूमि के खाता संख्या--130 खसरा नं0-- 690 रकबा 0.2250है0 कुल लगान 2.80 रू0भाग कुल खाता संख्या--31 खसरा नं0--676/2 रकबा 0.5640 है0 कुल लगान 6.60 रू0 भाग कुल व खाता संख्या--104 खसरा नं0-- 668 रकबा 1.1470 है0 लगान 14.00 रू0 भाग कुल हक व हिस्सा बकदर 1/2 भाग व खाता संख्या--575 खसरा सं0-- 714/2 रकबा 0.1120 है0 व 716/2मि0रकबा 0.1640 है0,729/2मि0 रकबा 0.0870 है0 ,730/3 मि0 रकबा 0.1380है0 व 737/2 मि0 रकबा 0.4150है0 कुल 5 किते रकबा 0.9160 है0 लगान 18.38रू0 भाग कुल व खाता संख्या--202 खसरा संख्या--728 रकबा 0.5330 है0 लगान 7.00रू0 कुल (यानि 2.8115 है0)भूमि का संक्रमणीय भूमिधर दर्ज व मौके पर काबिज है। मौके पर शिक्षा के प्रचार व प्रसार कार्य हो रहा है तथा बाउड्रीवाल बनी हुई है । जिस कारण उक्त भूमि को अकृषिक भूमि घोषित किये जाने की आवश्यकता बताते हुए उक्त भूमि को धारा --143 ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित कराने का अनुरोध किया गया है।

तहसीलदार जानसठ से जमीदारी विनाश अधिनियम के नियम --135 के निर्धारित प्रारूप पर रिपोर्ट मॉगी गयी । राजस्व निरीक्षक /तहसीलदार जानसठ द्वारा अपनी जॉच आख्या में अवगत कराया है कि गाटा संख्या-- 676/2/0.5640है0, 668/0.5735है0, 690/0.2250, 728/0.5330, 714/2/0.1120, 716/2मि0/0.1640, 729/2 मि0/0.0870, 730/3मि0/0.1380 , 737/2मि0/0.4150 कुल 9 किते क्षेत्रफल 2.8115 है0 लगान 41.78 रू0 स्थित ग्राम कैलापुर जसमौर परगना भु0सं0 तहसील जानसठ जिला मु0नगर पर भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी (रजि0) 50, आवास विकास कालौनी (बिजनौर)सामने इन्द्रा पार्क बिजनौर द्वारा अध्यक्ष अनिल सिंह पुत्र भगवन्त सिंह निवासी ग्राम पाहुली(चॉदपुर)जिला बिजनौर का नाम बतौर संकमणीय भूमिधर के रूप में अभिलेखों मे अंकित है। मौके पर उक्त समस्त खसरा नम्बरान भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी(भगवन्त इन्स्टीटयूट ऑफ टेक्नोलॉजी) की चार दिवारी के अन्दर खाली पड़े हुए हैं । उपरोक्त समस्त गाटा संख्यां अकृषिक उपयोग में आ रहे है । उक्त गाटा संख्याओं में कोई कृषि कार्य नही हो रहा है साथ ही यह भी अवगत कराया हैं कि उक्त भूमि वन्य जीव विहार अभ्यारण हस्तिनापुर क्षेत्र के लिए अधिसूचित नही है तथा उक्त भूमि तहसीलदार की आख्यॉं/नियम 135 की रिर्पोट के अनुसार शिक्षण संस्थान के प्रसार हेतु अकृषिक प्रयोजन के उपयोग में लायी जा रही है। श्री रविन्द्र कुमार पुत्र शोभाराम द्वारा स्वयं को मुख्तायारेआम भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी (रजि0) 50, आवास विकास कालौनी (बिजनौर)सामने इन्द्रा पार्क बिजनौर का मुख्तारेआम बताते हुए शपथ पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूमि बाउन्ड्रीवाल के भीतर हैं तथा शिक्षण संस्थान व निर्माण कार्य चल रहा हैं।

तहसीलदार जानसठ की उपरोक्त आख्या तथा प्रार्थी /मुख्त्यारेआम भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी (रजि0) 50, आवास विकास कालौनी (बिजनौर)सामने इन्द्रा पार्क बिजनौर रविन्द्र कुमार के शपथ पत्र के आधार पर प्रश्नगत भूमि को अकृषिक घोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम कैलापुर जसमौर परगना भु0सं0 की खतौनी वर्ष 1407 ता 1412 फ0 के खाता संख्या--31 के खसरा संख्या 676/2 क्षेत्रफल 0.5640 है0 लगान 6.60,खाता संख्या--104 खसरा संख्या--668 रकबा 0.5735 है0लगान 7.00 रू0, खाता संख्या--130 खसरा संख्या--690रकबा 0.2250 है0लगान 2.80 रू0, खाता संख्या 202 खसरा संख्या--728रकबा 0.5330 है0लगान 7.00 रू0 ,खाता संख्या--575 खसरा संख्या 714/2/0.1120 , 716/2मि रकबा 0.1640 है0, 729/2मि0 /0.0870 , 730/3 मि0 /0.1380 , 737/2 मि0 /0.4150 कुल 5 किते रकबा 0.9160 है0 लगान 18.38 रू0, कुल 9किते रकबा 2.8115 है0 लगान 41.78 रू0 को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा--143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है । तदनुसार प्रख्यापन निर्गत हो । पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त राजस्व अभिलेखागार में संचित की जाय।

दिनांक:23-03-2012

Photocopyed
8561

Secretary
Bhagwant Education Development Society
Bijnor (U.P.)

23.3.12
(एस0बी0सिंह)
उप जिलाधिकारी
तहसील--जानसठ।

न्यायालय उप जिलाधिकारी– जानसठ (मुजफ्फरनगर)

वाद संख्या : 06 / 2011–12

धारा 143 ज0वि0 अधिनियम
मौजा – ग्राम कैलापुर जसमौर
परगना–भु0सं0

भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी(रजि0) बनाम सरकार

निर्णय

प्रश्नगत वाद श्री रविन्द्र कुमार पुत्र श्री शोभाराम निवासी मौ0शक्तीनगर बेराज रोड बिजनौर बहैसियत मुख्तारेआम भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी (रजि0) 50, आवास विकास कालौनी (बिजनौर)सामने इन्द्रा पार्क बिजनौर द्वारा धारा –143 ज0वि0 एवं भूमि व्यवस्था अधि0 के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करते हुए कहा है कि भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी (रजि0) 50, आवास विकास कालौनी (बिजनौर)सामने इन्द्रा पार्क बिजनौर ग्राम कैलापुर जसमौर परगना भु0सं0 तहसील जानसठ जिला मुजफ्फरनगर स्थित भूमि के खाता संख्या–104 खसरा नं0– 668 रकबा 1.1470है0 कुल लगान 14.00 रू0 कुल हक व हिस्सा बकदर 1/2 भाग खाता संख्या–493 खसरा नं0–663/1 रकबा 0.2870 है0 कुल लगान 3.50 रू0 भाग पूर्ण खाता संख्या– 210 खसरा नं0– 662 रकबा 0.7690 है0, खसरा संख्या–675/1 रकबा 0.1740है0 तथा खसरा संख्या–726 रकबा 0.3180है0 कुल 03 किते रकबा 1.2610है0 कुल लगान 15.60 रू0 कुल हक व हिस्सा बकदर 1/4 भाग व खाता संख्या–208 खसरा सं0– 665 रकबा 2.8380 है0 लगान 34.85 रू0 कुल हक व हिस्सा बकदर 1/4 भाग कुल (यानि 1.8850 है0) भूमि का संक्रमणीय भूमिधर दर्ज व मौके पर काबिज है। मौके पर शिक्षा के प्रचार व प्रसार कार्य हो रहा है तथा बाउड्रीवाल बनी हुई है । जिस कारण उक्त भूमि को अकृषिक भूमि धोषित किये जाने की आवश्यकता बताते हुए उक्त भूमि को धारा –143 ज0वि0एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित कराने का अनुरोध किया गया है।

तहसीलदार जानसठ से जमीदारी विनाश अधिनियम के नियम –135 के निर्धारित प्रारूप पर रिर्पोट मॉगी गयी । राजस्व निरीक्षक /तहसीलदार जानसठ द्वारा अपनी जॉच आख्या में अवगत कराया हैं कि गाटा संख्या– 665म/0.7095है0, 662म/0.1922है0,. 675/1म/0.0435, 726म/0.0795, 663/1/0.2870है0 व 668म/0.5735है0 कुल 06 किते क्षेत्रफल 1.8852है0 लगान 23.10रू0, स्थित ग्राम कैलापुर जसमौर परगना भु0सं0 तहसील जानसठ जिला मु0नगर पर भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी (रजि0) 50, आवास विकास कालौनी (बिजनौर)सामने इन्द्रा पार्क बिजनौर द्वारा अध्यक्ष अनिल सिंह पुत्र भगवन्त सिंह निवासी ग्राम पाहुली(चांदपुर)जिला बिजनौर हाल निवासी भगवन्तपुरम का नाम बतौर संक्रमणीय भूमिधर के रूप में अभिलेखों मे अंकित है। मौके पर उक्त समस्त खसरा नम्बरान भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी की चार दिवारी के अन्दर खाली पड़े हुए है । उपरोक्त समस्त गाटा संख्या अकृषिक उपयोग में आ रहे है । उक्त गाटा संख्याओं में कोई कृषि कार्य नही हो रहा है साथ ही यह भी अवगत कराया हैं कि उक्त भूमि वन्य जीव विहार अभ्यारण हस्तिनापुर क्षेत्र के लिए अधिसूचित नही है तथा उक्त भूमि में उ0प्र0 जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–154 का उल्लंघन नहीं है । उक्त भूमि तहसीलदार की आख्या/नियम 135 की रिर्पोट के अनुसार शिक्षण संस्थान के प्रसार हेतु अकृषिक प्रयोजन के उपयोग में लायी जा रही है । श्री रविन्द्र कुमार पुत्र शोभारामं द्वारा स्वमं को मुख्तायारेआम भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी (रजि0) 50, आवास विकास कालौनी (बिजनौर)सामने इन्द्रा पार्क बिजनौर का मुख्तारेआम बताते हुए शपथ पत्र द्वारा अवगत कराया गया है कि प्रश्नगत भूमि बाउन्ड्रीवाल के भीतर हैं तथा शिक्षण संस्थान व निर्माण कार्य चल रहा हैं।

तहसीलदार जानसठ की उपरोक्त आख्या तथा प्रार्थी /मुख्त्यारेआम भगवन्त एजुकेशनल डवलपमेन्ट सोसायटी (रजि0) 50, आवास विकास कालौनी (बिजनौर)सामने इन्द्रा पार्क बिजनौर श्री रविन्द्र कुमार के शपथ पत्र के आधार पर प्रश्नगत भूमि को अकृषिक धोषित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपरोक्त विवेचना के आधार पर ग्राम कैलापुर जसमौर परगना भु0सं0 की खतौनी वर्ष 1407 ता 1412 फ0 के खाता संख्या–208 के खसरा संख्या–665म क्षेत्रफल 0.7095 है0 लगान 8.70,खाता संख्या–493 खसरा संख्या–663/1 रकबा 0.2870 है0लगान 3.50 रू0, खाता संख्या–210 खसरा संख्या–662म रकबा 0.1922 है0 , खसरा संख्या–675/1म क्षेत्रफल 0.0435है0, खसरा संख्या–726म क्षेत्रफल 0.0795 कुल 03 किते क्षेत्रफल 0.3152है लगान 3.90 रू0 व खाता संख्या–104 खसरा संख्या–668म रकबा 0.5735 है0 लगान 7.80 रू0 कुल 6 किते कुल रकबा 1.8852 है0 कुल लगान 23.10 रू0 को जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम की धारा–143 के अन्तर्गत अकृषिक भूमि घोषित किया जाता है । आदेश की प्रति तहसीलदार जानसठ को राजस्व अभिलेखों में अमलदरामद करने हेतु एवं उप निबंधक जानसठ को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जाये। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही उपरान्त राजस्व अभिलेखागार में संचित की जायें।

दिनांक: ~~26–04–2012~~ 27/4/12

(एस0बी0सिंह) 27/4/12
उप जिलाधिकारी